न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00482

नारायण सिंह आत्मज श्री मुरजाद सिंह जाति चारण राजपूत निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राधाकिशन आत्मज श्री जगन्नाथ जाति दरोगा ।
2. मदन लाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति दरोगा निवासीगण ग्राम ठीकरिया चारणाान तहसील तालेडा पोस्ट लीलेडा व्यासन वाया तालेडा जिला बून्दी।
3. देवराज आत्मज श्री मुरजाद सिंह जाति चारण राजपूत ।
4. शक्तिशरण सिंह आत्मज श्री जोरावर सिंह जाति चारण राजपूत ।
5. मनोज कुमार आत्मज श्री हरिसिंह जाति चारण राजपूत ।
6. श्रीमती सावित्री देवी विधवा पत्नी श्री हरिसिंह जाति चारण राजपूत निवासीगण ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. तेज सिंह आत्मज श्री मूल सिंह जाति चारण राजपूत ।
8. उम्मेद सिंह आत्मज श्री मूलसिंह जाति चारण राजपूत निवासीगण ग्राम बडा गॉव तहसील लाम्बा हरिसिंह जिला टोंक ।
9. श्रीति राज बाई पत्नी श्री सवाई सिंह (पुत्री श्री मूल सिंह) जाति चारण राजपूत निवासी ग्राम डोगरी पोस्ट मोजमाबाद तहसील ददु जिला जयपुर ।
10. श्रीमती अश्विनी पत्नी श्री जयसिंह (पुत्री श्री हरिसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम कचोलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक ।
11. श्रीमती अंजू पत्नी श्री दिवाकर (पुत्री श्री हरिसिंह) जाति चारण राजपूत निवासी मार्फत श्री भगवत सिंह मकान नं0 ग–22 भवानी नगर, मुरलीपुरा स्कूल के पास सीकर रोड जयपुर ।
12. राजस्थान राज्य ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रतिवादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि भागीरथ आत्मज श्री राम ने श्री मुरजाद सिंह, जोरावर सिंह एवं हरि सिंह के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील व जिला बून्दी के बाबत् हक घोषणा एवं स्थाययी निषेधाज्ञा का एक वाद न्यायाल उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहॉ प्रस्तुत किया । उक्त वाद में राधाकिशन एवं मदन लाल ने भागीरथ जी के देहावसान के उपरान्त अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बताते हुए पक्षकार बन उक्त वाद में कार्यवाही की। उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2003 से वादीगण का वाद डिक्री कर वादीगण को खातेदार घोषित कर दिया । उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के निर्णय की पालना में उक्त आराजी वादी ने अपने नाम दर्ज करवा ली । बाद सेटलमेंट वर्तमान में इस भूमि के खसरा नम्बर 240 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा कायम किया गया । उक्त निर्णय की प्रथम अपील न्यायालय हाजा में की गई जो खारिज की गई । द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2014 के द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया । परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2003 को निरस्त होने के उपरान्त भूमि वापस पूर्ववर्ती खातेदार के नाम दर्ज की जावे ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पूर्ववर्ती खातेदारान के नाम वापस दर्ज की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.11.2019 के द्वारा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया वादीगण के पक्ष में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2003 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2014 द्वारा निरस्त किया जा चुका है । आज की तारीख में कोई निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट के विरूद्ध प्रभावशील नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भागीरथ आत्मज रामलाल ने एक दावा ग्राम ठीकरिया चारणाान तहसील बून्दी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा के बाबत् हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । राधा किशन एवं माधोलाल ने स्वयं को भागीरथ जी का उत्तराधिकारी बताते हुए पक्षकार बन उस बाद में कार्यवाही की । उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 17.02.2003 को वाद डिक्री किया । दिनांक 17.08.2005 को प्रतिवादीगण की अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा खारिज कर दी गई । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 22.12.2014 को प्रतिवादीगण की अपील को मंजूर करते हुए, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा एवं उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया । वादीगण ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली । सेटलमेंट विभाग ने इसका नया खसरा नम्बर 240 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा कायम किया । क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होने के कारण पत्रावली उपखण्ड अधिकारी तालेडा में प्रेषित की गई । वादीगण के द्वारा दिनांक 31.05.2016 को दावा विड्रो किया गया । पक्षकारान के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है वादीगण के अधिकार समाप्त हो गये हैं । अपीलान्ट के द्वारा धारा 144 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 17.02.2003 से पूर्व की स्थिति कायम रखने की प्रार्थना की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा दिनांक 17.02.2003 का निर्णय अपास्त किया जा चुका है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 1994 (एससी) पेज 69, आरआरटी 2018 (1) पेज 383, आरआरडी 2015 (2) पेज 1121, आरआरडी 2013 पेज 113 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण के रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र पर दावा पुनः नम्बर पर लिया गया था और इसके उपरान्त दिनांक 13.03.2020 को दावा वादी परीक्षण न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है । जिस समय यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उस समय परीक्षण न्यायालय में दावा के रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र लम्बित था । अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी दिनांक 13.03.2020 को डिक्री किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र Infructuous हो गया था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रार्थी नारायण सिंह के द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 13.11.2017 को पेश किया गया है । पत्रावली के साथ परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.04.2015 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.12.2014 की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया है और दिनांक 31.05.2016 की आदेशिका की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार वादीगण का दावा as withdrawn खारिज किया गया है । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.12.2014 की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है जिसके अनुसार परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2003 और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 17.08.2005 को अपास्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है । पत्रावली पर सहायक जिला कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 17.02.2003 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार दावा वादी डिक्री किया गया है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 17.08.2005 की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार अपील खारिज की गई है ।

10. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.12.2014 से परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2003 को अपास्त किया जा चुका है । दिनांक 17.02.2003 के निर्णय से वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर खातेदार प्रदान की गई है । ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस निर्णय को

अपास्त किये जाने की स्थिति में इस निर्णय से पूर्व की स्थिति सीपीसी की धारा 144 के प्रावधानों के अनुसार बहाल किया जाना अनिवार्य है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीरें डीएनजे 1994 (एससी) पेज 69, आरआरटी 2018 (1) पेज 383, आरआरडी 2015 (2) पेज 1121, आरआरडी 2013 पेज 113 यहॉ चस्पा होती हैं ।

11. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि दावा दिनांक 31.05.2016 को खारिज हो जाने के बाद रेस्टोर किया जा चुका था । ऐसी स्थिति में धारा 144 सीपीसी के तहत पेश प्रार्थना पत्र Infructuous हो गया है । हम रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक के इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि यदि दावा as withdrawn खारिज हो जाने के उपरान्त दिनांक 03.01.2020 को रेस्टोर किया गया है तथा प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2017 को दावे के रेस्टोर होने के पूर्व ही पेश किया जा चुका था और धारा 144 सीपीसी के तहत अपीलाधीन निर्णय भी दावे के रेस्टोर करने के पूर्व ही पारित किया जा चुका था । जिस समय परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है उस समय वादीगण के पक्ष में किसी न्यायालय का कोई निर्णय नहीं था वरन् माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 22.12.2014 प्रभावी था । ऐसी स्थिति में सीपीसी की धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2003 से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को बहाल किया जाना अनिवार्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2003 की अनुपालना में राजस्व रिकॉर्ड में जो परिवर्तन किया गया है उसको निरस्त किया जाकर निर्णय से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को बहाल किया जावे ।

13. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा